



राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड।

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची - 834001

Email : jsec-jhr@nic.in

दूरभाष- 0651-2284012, 9264474491 फैक्स-0651-2280287

पत्रांक-03-नि0 प0-52/2022 रा0नि0आ0-

1215/

प्रेषक,

राधे श्याम प्रसाद,
सचिव ।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-उपायुक्त,
बोकारो ।

राँची, दिनांक-15/05/2022

विषय:-

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 : पुनर्मतदान के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक -981 दिनांक-14.05.2022 तथा पत्रांक 997
दिनांक 15.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या 208 एवं 209 में पंचायत समिति सदस्य पद हेतु पुनर्मतदान संबंधी प्रतिवेदन सहित सामान्य प्रेक्षक द्वारा भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा के पश्चात् निदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग का अभिमत है कि उक्त मतदान केन्द्र के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हुई है। अतः झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 73 के अधीन आयोग का यह निर्देश है कि संबंधित मतदान केन्द्र पर निम्न विवरणी के अनुसार पुनर्मतदान कराना सुनिश्चित किया जाय :-

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	मतदान केन्द्र संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम	पद का नाम	पुनर्मतदान की तिथि एवं समय
1	गोमिया	208-30म0वि0 पिपराडीह, कमरा नं0-04	XV बोकारो /01 गोमिया-20 से पंचायत समिति सदस्य	16.05.2022 (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)
2	गोमिया	209-30म0वि0 पिपराडीह, कमरा नं0-05	XV बोकारो /01 गोमिया-20 से पंचायत समिति सदस्य	16.05.2022 (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)

संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को तत्काल इस आशय की सूचना उपलब्ध करा दी जाय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

15/5/22
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची ।